81

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 272–दो/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2007– पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण 31/2005–06 अ–70 अपील

1– श्रीमती फूलमती वाई पत्नि स्व.कुंजनलाल
2– वंशीलाल पुत्र स्व.कुंजनलाल
3– श्रीमती लीलावाई पत्नि स्व. जमुनाप्रसाद
निवासीगण करंजिया तहसील व जिला
डिण्डोरी मध्य प्रदेश
4– श्रीमती शीलावाई पत्नि हीरालाल
निवासी ग्राम गोपालपुर तहसील डिण्डोरी
5– श्रीमती गिरजावाई पत्नि सुक्कन
निवासी डिण्डोरी तहसील डिण्डोरी
6– कु.रश्मिवाई पुत्री स्व.कुंजनलाल
निवासी करंजिया तहसील डिण्डोरी ---आवेदकगण

विरूद्ध

छोटेलाल पुत्र फागूलाल पनिका
निवासी ग्राम करंजिया तहसील डिण्डोरी ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी0एस0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 16–2–2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण 31/2005-06 अ-70 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-6-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय कुंजनलाल, गेंदलाल एंव श्रीमती जनियावाई ने नायव तहसीलदार बजाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 846/19 रकबा 0.15 डिसिमल पर अनावेदक ने टपरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है इसलिये भूमि का कब्जा वापिस दिलाया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 11 अ 70/88-89 अ 70-दर्ज किया तथा पक्षकारों की सुनववाई उपरांत आदेश दिनांक 4-9-1993 पारित करके म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 846/19 रकबा 0.15 डिसिमल नवीन सर्वे नंबर 2913/2032 रकबा 0.06 है. (आगे जिसे वाद विचारित भूमि सम्बोधित किया है) पर से अनावेदक को बेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी के समक्ष अपील कमांक 2/1993-94 अ 70 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 20-2-2006 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 31/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-6-2007 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह स्वयं जांच कर वाद भूमि को नियमानुसार

शासकीय मद में दर्ज करने की कार्यवाही करें एंव न्यायालय को अवगत करायें। इसी आदेश से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण 31/2005-06 अ-70 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-6-2007 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि वाद विचारित भूमि का पटटा आवेदकगण को वर्ष 1966-67 में अर्थात आज से लगभग 48 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ है जो कलेक्टर मण्डला ने प्रकरण कमांक 24 अ-19/67-68 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-12-68 से निरस्त कर दिया अर्थात वाद विचारित भूमि पुनः अभिलेख में शासकीय दर्ज करने का आदेश हुआ। आयुक्त व्दारा आदेश में स्वीकार किया है कि वाद विचारित भूमि भले ही स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-12-68 से शासकीय दर्ज करना आदेशित हुआ, किन्तु शासकीय अभिलेख में वाद विचारित भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज चली आई और यह प्रविष्टि सॅशोधन पंजी की प्रविष्टि कमांक 315 आदेश दिनांक 10-2-78 से सही करके शासकीय दर्ज हो पाई। आयुक्त व्दारा यह भी निष्कर्ष दिया है कि जब आदेश दिनांक 10-2-78 से वाद विचारित भूमि शासकीय दर्ज हुई, फिर से वाद विचारित शासकीय भूमि तहसीलदार के प्रकरण कमांक 01 अ-19/1978-79 में पारित आदेश दिनांक 27-8-78 से कुंजनलाल को भूमिस्वामी स्वत्व पर पटटे पर प्रदान की गई है। इसके वाद भी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण

31/2005-06 अ-70 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-6-2007 में यह अर्थ निकालना, कि कलेक्टर के स्वमेव निगरानी आदेश आदेश के उपरांत वाद विचारित भूमि किस आधार पर कुंजनलाल के नाम दर्ज रही, आयुक्त का निष्कर्ष प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों एंव अभिलेखों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण पटटे की बैधता/अवैधता को चुनौती देने का नहीं है अपितु नायव तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व पर दर्ज चली आ रही भूमि सर्वे कमांक 846/19 रकबा 0.15 डिसिमल नवीन सर्वे नंबर 2913/2032 रकबा 0.06 है. पर अनावेदक व्दारा टपरा बनाकर अवैध आधिपत्य किये जाने पर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत मूल न्यायालय नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 11 अ 70/88-89 अ 70-दर्ज में आदेश दिनांक 4-9-1993 पर से प्रारंभ है एंव इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी के समक्ष अपील कमांक 2/1993-94 अ 70 प्रस्तुत होने पर आदेश दि. 20-2-2006 के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 31/2005-06 अ-70 प्रस्तुत हुई है, परन्तु आयुक्त, सागर संभाग व्दारा म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के सार से हटकर आवेदकगण के हित में हुये पटटों की जांच एंव पटटों के निरस्तीकरण का बिन्दु विचारित कर आदेश पारित करने में त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश 21-6-2007 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 31/2005-06 अ-70 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-6-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी व्दारा अपील कमांक 2/1993-94 अ 70 में पारित आदेश दिनांक 20-2-2006 एंव नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 11 अ 70/88-89 अ 70 में पारित आदेश दिनांक 4-9-1993 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर